प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सोलह' [15/12/2015]

प्रश्न सं. [क्र. 1034] परिशिष्ट - "अ"

वि.स. तारा.प्र.क्र. 1034

मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ
MADHYA PRADESH
VIKAS PRADHIKARAN SANGH

दूरभाष : (0755) 2466514, 2420658 Phone : (0755) 2466514, 2420658
फैक्स : (0755) 2466514 FAX : (0755) 2466514
ई-मेल : vikasangh@sancharnet.in E-mail : vikasangh@sancharnet.in
''कचनार'' पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 "KACHNAR" PARYAVARAN PARISAR, E-5, ARERA COLONY, BHOPAL, 462 016

संदर्भ/Ref. : 4401/VPS/08 दिनांक / Date

प्रति,
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका,
शिवपुरी जिला शिवपुरी

विषयः—''छोटे तथा मझौले नगरों की नगरीय अधोसंरचना विकास योजना'' शिवपुरी

छोटे तथा मझौले नगरों की नगरीय अधोसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय साधिकार स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 17.09.2007 द्वारा आपके नगर की निम्नानुसार योजनाएँ स्वीकृत की गई है :—

(रू. लाख में)

योजना का नाम	स्वीकृत लागत	केन्द्रांश 80 प्रतिशत	राज्यांश 10 प्रतिशत	नगरीय निकाय का अंश 10 प्रतिशत
जल प्रदाय आवर्धन	5964.66	4771.73	596.47	596.47

योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि भारत शासन द्वारा प्रसारित मार्गदर्शिका की कंडिका 7 के अनुसरण में नगरीय निकाय को मुक्त की जाएगी। भारत शासन के वित्त मंत्रालय के पत्र क्र. 59(10)/पी.एफ.-1/2007-310 दिनांक 26.03.08 द्वारा केन्द्रांश की प्रथम किश्त (कुल केन्द्रांश का 50 प्रतिशत) मुक्त की जा चुकी है। जल प्रदाय आवर्धन योजना हेतु शीघ्र ही केन्द्रांश की प्रथम किश्त का 50 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश के साथ राज्य स्तरीय नोडल संस्था के माध्यम से आपको मुक्त किया जा सकेगा।

योजनान्तर्गत स्वीकृत घटकों बाबत् निम्नानुसार जानकारियाँ संलग्न हैं :—

1. जल-प्रदाय संवर्धन योजना हेतु म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ का मूल्यांकन प्रतिवेदन

2. नगरीय निकाय द्वारा हस्ताक्षरित एवं भारत शासन से सहमति प्राप्त सुधार एजेण्डा तथा सहमति पत्र

Assistant Engineer
...and Development

नगरीय निकाय द्वारा हस्ताक्षरित "मैमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट" की कंडिकाओं के अनुसार नगरीय निकाय द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक हैं :–

1. योजना क्रियान्वयन का मासिक व त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रारूप पृथक से भेजा जा रहा है)
2. सुधार एजेण्डा लागू करने की मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रारूप पृथक से भेजा जा रहा है)
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर प्रत्येक योजना के ऑडिटेड एकाउण्ट्स.
4. योजना के समय–सीमा में क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकाय स्तर पर रणनीति
5. योजना के पूर्ण होने पर योजना के प्रभावों बाबत् पूर्ण प्रतिवेदन.
6. यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.योजनान्तर्गत नगरीय निकाय द्वारा सम्पादित विभिन्न अनुबंधों की छायाप्रति जैसे – वास्तुविद के साथ संपादित अनुबंध इत्यादि (तत्काल प्रेषित करें) ।
7. योजना के लिये पृथक– पृथक से बैंक खाते की छाया प्रति। खाते का नाम UIDSSMT – Water Supply Augmentation होगा।
8. संबंधित घटक के खाते में नगरीय निकाय के अंश की राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत जमा कर सूचित करें।

आपसे अनुरोध है कि अनुबंध की कंडिका 3,6,10,11,12,13,14 व 15 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। स्पष्ट है कि नगर के बहुमुखी विकास के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। अतः इस योजना का क्रियान्वयन समय–सीमा में किया जाना तथा साथ ही सुधार एजेण्डा को समय–सीमा अनुसार लागू किया जाना नगरीय निकाय की प्राथमिकता होनी चाहिए।

(राजेश नागल)
प्रोजेक्ट डायरेक्टर

पृष्ठांकन क्रमांक /बीपीएस/2008 भोपाल, दिनांक /03/08

प्रतिलिपिः–

1. कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष, नगर पालिका शिवपुरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।

(राजेश नागल)
प्रोजेक्ट डायरेक्टर

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P. Bhopal